



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273750
CG-DL-E-23062026-273750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3216]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3216]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3349(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात: —

क्र. सं.	पुनरीक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 24492607 आवश्यक अपेक्षाएँ आईओटी गेटवे

2.	टी ई सी 28362607 आवश्यक अपेक्षाएँ स्मार्ट विद्युत मीटर
3.	टी ई सी 28732607 आवश्यक अपेक्षाएँ ट्रैकिंग उपकरण
4.	टी ई सी 23232607 आवश्यक अपेक्षाएँ फीडबैक उपकरण
5.	टी ई सी 23732607 आवश्यक अपेक्षाएँ पर्यावरणीय निगरानी हेतु एंड पॉइंट उपकरण

2. आवश्यक अपेक्षाओं के लिए विद्यमान एवं पूर्वोक्त पुनरीक्षित मानक, प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि तक समवर्ती रूप से लागू रहेंगे, जिसके पश्चात केवल पुनरीक्षित मानक ही लागू रहेंगे।

[फा. सं. 24-02/2025-एसटीडी/टीईसी-भाग (1)]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3349(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: —

Sl. No.	Number and name of revised standards
(1)	(2)
1.	TEC 24492607 Essential Requirements IoT Gateway
2.	TEC 28362607 Essential Requirements Smart Electricity Meter
3.	TEC 28732607 Essential Requirements Tracking Device
4.	TEC 23232607 Essential Requirements Feedback Device
5.	TEC 23732607 Essential Requirements End Point Device for Environmental Monitoring

2. The existing standards and the above revised standards for essential requirements shall remain in force concurrently for a period of ninety days from the date of publication of this notification, after which, the revised standards only shall be applicable.

[F. No. 24-02/2025-STD/TEC-Part(1)]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General